बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक......545........./गोप./2022 भोपाल, दिनांक 29/11/22

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन उच्च-शिक्षा विभाग द्वारा सत्र -2022-23 में नई शिक्षा नीति लागू की गयी। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत SGPA/AGPA के अनुसार परीक्षा-परिणाम बनाया जाना था इसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की गयी। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.सी./बी.बी.ए./बी.सी.ए. प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हेतु ओ.एम.आर. सामान्य हिन्दी/सामान्य अंग्रेजी/योगा/पर्यावरण विषय समाहित थे के माध्यम से विषय अनुसार परीक्षाऐं ली गयी ओ.एम.आर. पद्धति के अनुसार छात्रों को उत्तर-पुस्तिकाओं के ऊपर उत्तर में गोले लगाते हुए प्रश्न-पत्र हल करना था इस पद्धति के अंतर्गत सही एवं गलत विकल्प को कम्प्यूटर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा इसी पद्धति के माध्यम से मूल्यांकन कराया गया। ग्रेड सिस्टम के अंतर्गत आधार-पाठ्यक्रम की जो योजना थी उसमे न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था इससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को अनुत्तीर्ण दर्शाया गया एवं उनका परीक्षा परिणाम पूरक दर्शाया गया एवं विषयो में भी यही योजना लागू थी ग्रेड सिस्टम के कारण 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त होने पर * बनकर 00 अंक नेट की ग्रेड शीट में दर्शाये गये है। किन्तु विश्वविद्यालय को जो परिणाम संबंधी अभिलेख (टी.आर.) टेबुलेशन रजिस्टर प्राप्त होंगे उसमें संबंधित छात्र/छात्राओं का संपूर्ण विवरण ग्रेड एवं अंक अंकित रहेंगे। ग्रेडसूची में ग्रेड एवं SGPA/AGPA ही दर्शाया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि आधार पाठ्यक्रम में छात्रों के असन्तोष के दृष्टिगत विश्वविद्यालय ने पारदर्शिता की नीति अपनाते हुये छात्रों की ओ.एम.आर. शीट उत्तर-की (Answer-Key) सहित विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रदर्शित कर दी गई है। जिसे छात्र निःशुल्क स्वयं देख सकते है और आपत्ति होने पर सहपत्रों सहित अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

पृ.क्रमांक.......546............/गोपनीय/2022 भोपाल, दिनांक 29/11/22

प्रतिलिपिः-

1. समस्त प्राचार्य, शास. एवं अर्द्धशासकीय महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय (म.प्र.)
2. कुलपति जी के निज सचिव के माध्यम से मान. कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव जी के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी, आई.टी. सेल, ब.वि.वि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
5. नस्ती प्रति।

उप-कुलसचिव (गोप.)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।